

ਏਸਕੇਆਰਏਚ: ਸੂਚਨਾ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਾਰ्यਸ਼ਾਲਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ

ਕੀਕਾਨੇਰ, 28 ਦਿੱਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੇਮ):
ਸ਼ਵਾਮੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕ੃ਪਿ ਵਿਖਵਿਦਿਆਲਾਵ ਮੈਂ ਸੂਚਨਾ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਾਰਿਆਲਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕਿਯਾ ਗਿਆ।

ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾਵ ਮੈਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕਾਰਿਆਲਾ ਕੇ ਮੁਖ ਅਤਿਥਿ ਕੁਲਪਤਿ ਡਾਂ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ਿਏਟ ਅਤਿਥਿ ਕੁਲਸਚਿਵ ਡਾਂ. ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਸੌਨੀ ਔਰ ਸੂਚਨਾ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਿਤ ਬਾਸ ਥੇ।

ਕੁਲਪਤਿ ਡਾਂ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯਹ ਕ੃ਪਿ ਵਿਖਵਿਦਿਆਲਾਵ ਤੁਲਕਥੇ ਕਾਰ੍ਯ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੋ ਹੀ ਸਭੀ ਕਾਰ੍ਯ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤਿਆਂ ਭੀ ਹੀ ਸਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸੀ ਭੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾ ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਂ। ਪਦ ਔਰ ਵਿਖਵਿਦਿਆਲਾਵ ਕੀ ਗਰਿਆ ਬਨੀ ਰਹੇ, ਸਭੀ ਕੀ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਖਾਲ ਰਖਨਾ ਚਾਹਿਏ। ਕੁਲਸਚਿਵ ਡਾਂ. ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਸੌਨੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਹਮ ਅਗਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੋ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਤੋ ਹਮੁੰ ਕਿਸੀ ਸੋ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਏਕਟ ਸੋ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭੀ ਏਕਟ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਵਿਜਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.



ਸੂਚਨਾ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਾਰਿਆਲਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ। (ਪ੍ਰੇਮ)

ਏਕ ਭੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਕਾਜ ਮੈਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਲਾਯਾ ਗਿਆ ਥਾ।

ਸਭੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਾਰ੍ਯ ਕਰੋ। ਵਿਤ ਨਿਵੱਤਰਕ ਰਾਜੇਨਦ ਕੁਮਾਰ ਖੜੀ ਨੇ ਕਾਰਿਆਲਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਅਪਨੇ ਸੰਵੰਧਨ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੁਆਸਨ ਕੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਨਤਾ ਕੀ ਭੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਏ ਕਿ ਵੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਕਾਜ ਕੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਨ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਜੋ ਭੀ ਕਾਰ੍ਯ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੇਂ ਬੇਬਸਾਇਟ ਯਾ ਪੋਰਟਲ ਪਰ ਭੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੋਏ।

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਗਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜਨਾਦਰਤ ਲੋਗ ਵਹੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਬੇਬਸਾਇਟ ਯਾ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਗ ਦੁ਷਼ੇਰਿਤ ਹੋਕਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਲਗਾਤੇ ਹੋਏ,

ਜੋ ਖੇਦਜਨਕ ਹੈ।

ਕਾਰਿਆਲਾ ਮੈਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਏਕਟ ਏਕਸਪੱਟ ਅਮਿਤ ਬਾਸ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਵਾਮਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼੍ਵਤ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਬਤਾਯਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਭੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੇ ਘਰਾਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾ ਫਿਲਾ ਥੰਬ ਰੂਲ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੀ ਦੇਖਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਸ਼ਿਗਤ ਐਣੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਐਣੀ ਕੀ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਿਗਤ ਐਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਤੁਸਕੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਐਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਤੁਸਕਾ ਨਿਯਮਾਨੁਸਾਰ ਸਮਝਕਢ ਜਵਾਬ ਦੇ।

ਕਾਰ੍ਯਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਸਭੀ ਡੀਨ ਡਾਕ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕ੃ਪਿ ਵਿਖਵਿਦਿਆਲਾਵ ਕਾ ਸ਼ੈਕਾਣਿਕ, ਗੈਰ ਸ਼ੈਕਾਣਿਕ ਸਟਾਫ ਭੀ ਮੈਂਜੂਦ ਰਹਾ।

एसकेआरएयू- सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन

ओम एक्सप्रेस

बीकानेर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास निदेशालय में आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कुलपति डॉ अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी और सूचना का अधिकार अधिनियम विशेषज्ञ अमित व्यास थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने की। कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि यह कृषि विश्वविद्यालय उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। यहां पूरी पारदर्शिता से ही सभी कार्य हो रहे हैं। काम करते हैं तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन इससे



किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
किसी भी आरटीआई का नियमानुसार जवाब दें। पद और विश्वविद्यालय की गरिमा बनी

रहे। सभी को इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी ने कहा कि हम अगर पारदर्शिता से काम करते हैं तो

हमें किसी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आरटीआई एक्ट से भी नहीं। सरकार कोई भी एक्ट लाती है तो उसका विजन होता है। आरटीआई एक्ट भी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर लाया गया था। सभी पारदर्शिता के साथ बेहतरीन कार्य करें।

वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने कार्यशाला की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि पारदर्शिता सुशासन की चाबी है। जनता के टैक्स से सरकार चलती है तो जनता को भी अधिकार होना चाहिए। कि वो सरकारी कामकाज को पारदर्शिता के साथ जान सके। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उसे वेबसाइट या पोर्टल पर भी अपलोड कर देते हैं। आरटीआई लगाने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो वेबसाइट या पोर्टल नहीं देखते। कुछ लोग दुष्प्रेरित होकर

किसी के प्रति आरटीआई लगाते हैं जो खेदजनक है।

कार्यशाला में आरटीआई एक्ट एक्सपर्ट अमित व्यास ने आरटीआई के विभिन्न आयामों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आरटीआई से घबराने की जरूरत नहीं है। आरटीआई का पहला थंब रूल यही है कि आपको देखना है कि आरटीआई व्यक्तिगत श्रेणी की है या सार्वजनिक श्रेणी की। अगर व्यक्तिगत श्रेणी की है तो उसकी जानकारी नहीं देनी है। अगर सार्वजनिक श्रेणी की है तो उसका नियमानुसार समयबद्ध जवाब दें। कार्यक्रम में सभी डीन डायरेक्टर समेत कृषि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ सुशील कुमार ने किया।

कृषि विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित

■ तेज. श्रीगंगानगर | संजय सेठी

बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास निदेशालय में आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कुलपति डॉ अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी और सूचना का अधिकार अधिनियम विशेषज्ञ अमित व्यास थे। अध्यक्षता वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने की। कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि यह कृषि विश्वविद्यालय उत्कर्ष कार्य कर रहा है। यहां पूरी पारदर्शिता से ही सभी कार्य हो रहे हैं। काम करते हैं तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन इससे किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी



आरटीआई का नियमानुसार जवाब दें। पद और विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। सभी को इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी ने कहा कि हम अगर पारदर्शिता से काम करते हैं तो हमें किसी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आरटीआई एकट से भी नहीं। सरकार कोई भी एकट लाती है तो उसका विजन होता है। आरटीआई एकट भी सरकारी कामकाज में

पारदर्शिता को लेकर लाया गया था। सभी पारदर्शिता के साथ बेहतरीन कार्य करें। वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने कार्यशाला की शुरुआत करते कहा कि पारदर्शिता सुशासन की चाबी है। जनता के टैक्स से सरकार चलती है तो जनता को भी अधिकार होना चाहिए। कि वो सरकारी कामकाज को पारदर्शिता के साथ जान सके। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उसे वेबसाइट या पोर्टल पर भी अपलोड कर देते हैं।

आरटीआई लगाने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो वेबसाइट या पोर्टल नहीं देखते। कुछ लोग दुष्प्रेरित होकर किसी के प्रति आरटीआई लगाते हैं जो खेदजनक है। आरटीआई एकट एक्सपर्ट अमित व्यास ने आरटीआई के विभिन्न आयामों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आरटीआई से घबराने की जरूरत नहीं है। आरटीआई का पहला थंब रूल यही है कि आपको देखना है कि आरटीआई व्यक्तिगत श्रेणी की है या सार्वजनिक श्रेणी की। अगर व्यक्तिगत श्रेणी की है तो उसकी जानकारी नहीं देनी है। अगर सार्वजनिक श्रेणी की है तो उसका नियमानुसार समयबद्ध जवाब दें। कार्यक्रम में सभी डीन डायरेक्टर समेत कृषि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ सशील कमार ने किया।

कृषि विश्वविद्यालय में आरटीआई एकट को लेकर कार्यशाला का आयोजन

कामयाब कलम रिपोर्टर।

बीकानेर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में शनिवार को कुलपति डॉ. अरुण कुमार के मुख्य आतिथि में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि यह कृषि विश्वविद्यालय उत्कर्ष कार्य कर रहा है। यहां पूरी पारदर्शिता से ही सभी कार्य हो रहे हैं। काम करते हैं तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन इससे किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आरटीआई का नियमानुसार जवाब दें, लेकिन पद और विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। सभी को इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी ने कहा कि हम अगर पारदर्शिता से काम करते हैं तो हमें किसी से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार कोई भी एकट लाती है तो उसका विजन होता है। आरटीआई एकट भी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर लाया गया था। सभी पारदर्शिता के साथ बेहतरीन



कार्य करें। वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने कहा कि पारदर्शिता सुशासन की चाबी है। जनता के टैक्स से सरकार चलती है तो जनता को भी अधिकार होना चाहिए। कि वो सरकारी कामकाज को पारदर्शिता के साथ जान सके। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उसे वेबसाइट या पोर्टल पर भी अपलोड कर देते हैं। आरटीआई लगाने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो वेबसाइट या पोर्टल नहीं देखते। कुछ लोग दुष्प्रेरित होकर किसी के प्रति आरटीआई लगाते हैं जो खेदजनक है। कार्यशाला में आरटीआई एकट एक्सपर्ट अमित व्यास ने आरटीआई के

विभिन्न आयामों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आरटीआई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आरटीआई का पहला थंब रूल यही है कि आपको देखना है कि आरटीआई व्यक्तिगत श्रेणी की है या सार्वजनिक श्रेणी की। अगर व्यक्तिगत श्रेणी की है तो उसकी जानकारी नहीं देनी है। अगर सार्वजनिक श्रेणी की है तो उसका नियमानुसार समयबद्ध जवाब दें। कार्यक्रम में सभी डीन डायरेक्टर समेत कृषि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ सुशील कुमार ने किया।

एसकेआरएयूः सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन

हिंदुस्तान से रूबरू

बीकानेर(सुरेश जैन) स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास निदेशालय में आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कुलपति डॉ अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी और सूचना का अधिकार अधिनियम विशेषज्ञ अमित व्यास थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने की। कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि यह कृषि विश्वविद्यालय उत्कर्ष कार्य कर रहा है। यहां पूरी पारदर्शिता से ही सभी कार्य हो रहे हैं। काम करते हैं तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन इससे किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी आरटीआई का नियमानुसार जवाब दें। पद और विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। सभी को इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी ने कहा कि हम अगर पारदर्शिता से काम करते हैं तो हमें किसी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आरटीआई एक्ट से भी नहीं। सरकार कोई भी एक्ट लाती है तो उसका विजन होता है। आरटीआई एक्ट भी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर लाया गया था। सभी पारदर्शिता के साथ बेहतरीन कार्य करें। वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने कार्यशाला की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि पारदर्शिता सुशासन की चाबी है। जनता के टैक्स से सरकार चलती है तो जनता को भी अधिकार होना चाहिए।



कि वो सरकारी कामकाज को पारदर्शिता के साथ जान सके। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उसे वेबसाइट या पोर्टल पर भी अपलोड कर देते हैं। आरटीआई लगाने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो वेबसाइट या पोर्टल नहीं देखते। कुछ लोग दुष्प्रेरित होकर किसी के प्रति आरटीआई लगाते हैं जो खेदजनक है। कार्यशाला में आरटीआई एक्ट एक्सपर्ट अमित व्यास ने आरटीआई के विभिन्न आयामों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आरटीआई से घबराने की जरूरत नहीं है। आरटीआई का पहला थंब रूल यही है कि आपको देखना है कि आरटीआई व्यक्तिगत श्रेणी की है या सार्वजनिक श्रेणी की। अगर व्यक्तिगत श्रेणी की है तो उसकी जानकारी नहीं देनी है। अगर सार्वजनिक श्रेणी की है तो उसका नियमानुसार समयबद्ध जवाब दें। कार्यक्रम में सभी डीन डायरेक्टर समेत कृषि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ सुशील कुमार ने किया।

एसकेआरएयू : सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन

बीकानेर/सीमा किरण।
 स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास निदेशालय में आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कुलपति डॉ अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी और सूचना का अधिकार अधिनियम विशेषज्ञ अमित व्यास थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त नियंत्रक श्री राजेन्द्र कुमार खत्री ने की। कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि यह कृषि विश्वविद्यालय उत्कर्ष कार्य कर रहा है। यहां पूरी पारदर्शिता से ही सभी कार्य हो रहे हैं। काम करते हैं तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन इससे किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी आरटीआई का नियमानुसार जवाब दें। पद और विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। सभी को इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी ने कहा कि हम अगर पारदर्शिता से काम करते हैं तो हमें किसी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आरटीआई एकट से भी नहीं। सरकार कोई भी एकट लाती है तो उसका विजन होता है। आरटीआई



एकट भी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर लाया गया था। सभी पारदर्शिता के साथ बेहतरीन कार्य करें। वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने कार्यशाला की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि पारदर्शिता सुशासन की चाबी है। जनता के टैक्स से सरकार चलती है तो जनता को भी अधिकार होना चाहिए। कि वो सरकारी कामकाज को पारदर्शिता के साथ जान सके। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उसे वेबसाइट या पोर्टल पर भी अपलोड कर देते हैं। आरटीआई लगाने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो वेबसाइट या पोर्टल नहीं देखते। कुछ लोग दुष्प्रेरित होकर किसी के प्रति आरटीआई लगाते हैं जो खेदजनक है। कार्यशाला में

आरटीआई एकट एक्सपर्ट अमित व्यास ने आरटीआई के विभिन्न आयामों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आरटीआई से घबराने की जरूरत नहीं है। आरटीआई का पहला थंब रूल यही है कि आपको देखना है कि आरटीआई व्यक्तिगत श्रेणी की है या सार्वजनिक श्रेणी की। अगर व्यक्तिगत श्रेणी की है तो उसकी जानकारी नहीं देनी है। अगर सार्वजनिक श्रेणी की है तो उसका नियमानुसार समयबद्ध जवाब दें। कार्यक्रम में सभी डीन डायरेक्टर समेत कृषि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ सुशील कुमार ने किया।

एसकेआरएयूः सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन

बीकानेर(लोकमत, संवाद)।

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास निदेशालय में आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कुलपति डॉ अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी और सूचना का अधिकार अधिनियम विशेषज्ञ श्री अमित व्यास थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त नियंत्रक श्री राजेन्द्र कुमार खत्री ने की।

कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि यह कृषि विश्वविद्यालय उत्कर्ष कार्य कर रहा है। यहां पूरी पारदर्शिता से ही सभी कार्य हो रहे हैं। काम करते हैं तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन इससे



किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी आरटीआई का नियमानुसार जवाब दें। पद और विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। सभी को इसका विशेष

ख्याल रखना चाहिए।
कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी ने कहा कि हम अगर पारदर्शिता से काम करते हैं तो हमें किसी से चिंतित होने की जरूरत

नहीं है। आरटीआई एक्ट से भी नहीं। सरकार कोई भी एक्ट लाती है तो उसका विजन होता है। आरटीआई एक्ट भी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर लाया गया था। सभी पारदर्शिता के साथ बेहतरीन कार्य करें।

वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने कार्यशाला की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि पारदर्शिता सुशासन की चाबी है। जनता के टैक्स से सरकार चलती है तो जनता को भी अधिकार होना चाहिए। कि वो सरकारी कामकाज को पारदर्शिता के साथ जान सके। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उसे वेबसाइट या पोर्टल पर भी अपलोड कर देते हैं। आरटीआई लगाने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो वेबसाइट या पोर्टल नहीं देखते। कुछ लोग दुष्प्रेरित होकर किसी

के प्रति आरटीआई लगाते हैं जो खेदजनक हैं।

कार्यशाला में आरटीआई एक्सपर्ट श्री अमित व्यास ने आरटीआई के विभिन्न आयामों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आरटीआई से घबराने की जरूरत नहीं है। आरटीआई का पहला थंब रूल यही है कि आपको देखना है कि आरटीआई व्यक्तिगत श्रेणी की है या सार्वजनिक श्रेणी की। अगर व्यक्तिगत श्रेणी की है तो उसकी जानकारी नहीं देनी है। अगर सार्वजनिक श्रेणी की है तो उसका नियमानुसार समयबद्ध जवाब दें। कार्यक्रम में सभी डीन डायरेक्टर समेत कृषि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ मुशील कुमार ने किया।

सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन

बीकानेर, (निसं). स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास निदेशालय में आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कुलपति डॉ अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव डॉ देवा राम सैनी और सूचना का अधिकार अधिनियम विशेषज्ञ अमित व्यास थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने की। कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि यह कृषि विश्वविद्यालय उत्कर्ष कार्य कर रहा है। यहां पूरी पारदर्शिता से ही सभी कार्य हो रहे हैं। काम करते हैं तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन इससे किसी



को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी आरटीआई का नियमानुसार जवाब दें। पद और विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। सभी को इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। कुलसचिव डॉ

देवा राम सैनी ने कहा कि हम अगर पारदर्शिता से काम करते हैं तो हमें किसी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आरटीआई एक ऐसे भी नहीं। सरकार कोई भी एक लाती है तो उसका विजन

होता है। आरटीआई एक भी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर लाया गया था। सभी पारदर्शिता के साथ बेहतरीन कार्य करें। वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने कार्यशाला की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि पारदर्शिता सुशासन की चाबी है। जनता के टैक्स से सरकार चलती है तो जनता को भी अधिकार होना चाहिए। कि वो सरकारी कामकाज को पारदर्शिता के साथ जान सके। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उसे वेबसाइट या पोर्टल पर भी अपलोड कर देते हैं। आरटीआई लगाने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो वेबसाइट या पोर्टल नहीं देखते। कुछ लोग दुष्प्रेरित होकर किसी के प्रति आरटीआई लगाते हैं जो खेदजनक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन



बीकानेर @ पत्रिका. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास निदेशालय में आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कुलपति डॉ. अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव डॉ. देवा राम सैनी और सूचना का अधिकार अधिनियम विशेषज्ञ अमितव्यास थे। कार्यक्रम की

अध्यक्षता वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने की। कुलपति डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि यह कृषि विश्वविद्यालय उत्कर्ष कार्य कर रहा है। यहां पूरी पारदर्शिता से ही सभी कार्य हो रहे हैं। काम करते हैं तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन इससे किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी आरटीआई का नियमानुसार जवाब दें। पद और विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे।